ISSN 2277-5587
Impact Factor 5.025
Indexed in ULRICH, ISIFI, SJIF & DOJI
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Shodh Shree

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

शोध श्री

Issue - 1 January-March 2021 RNI No. RAJHIN/2011/40531

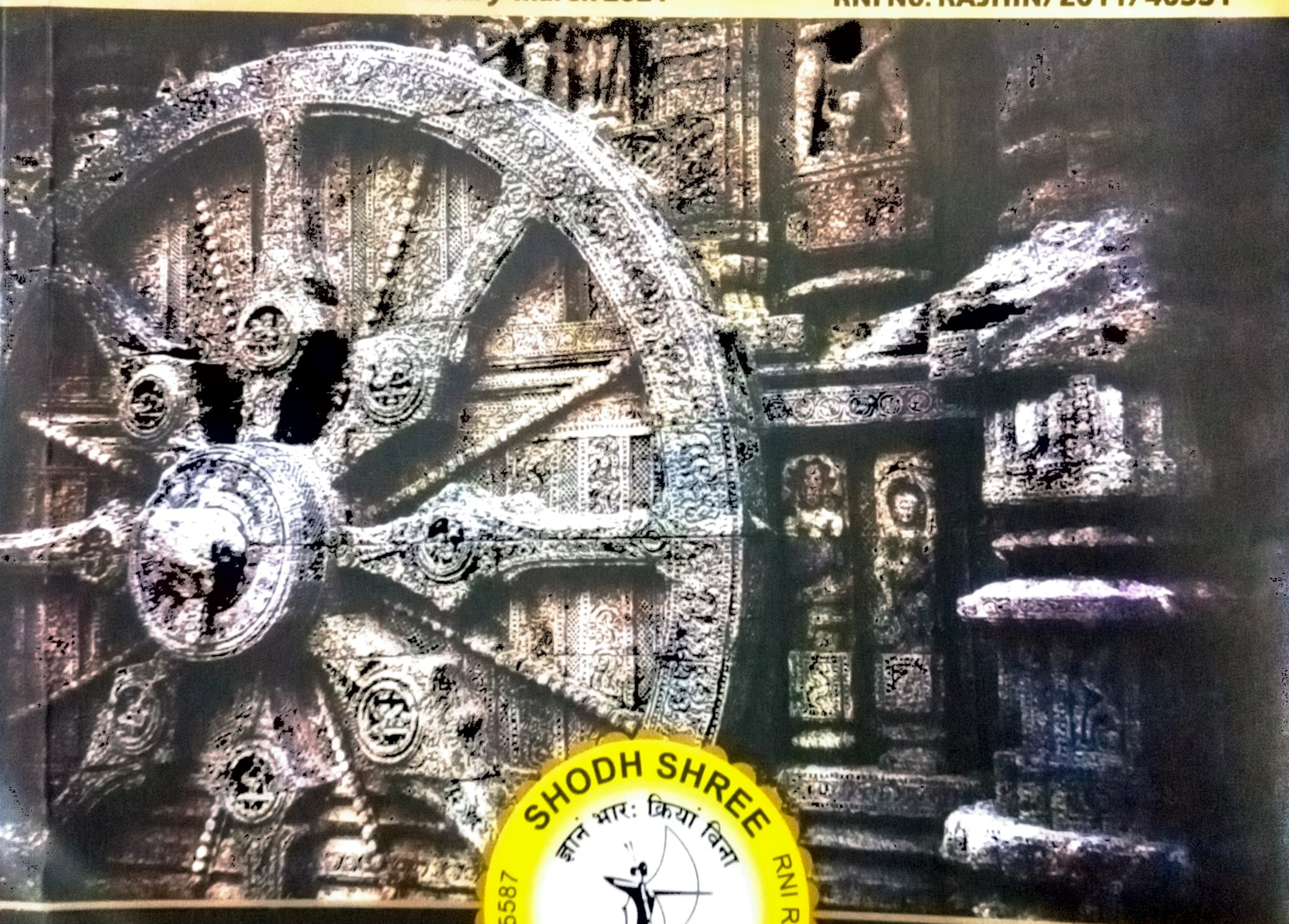

SHODH SHREE
ज्ञानं भार: क्रियां विना
ISSN 2277-5587
RNI RAJHIN/2011/40531

shodhshree@gmail.com
www.shodhshree.com

CHIEF EDITOR
Virendra Sharma
EDITOR
Dr. Ravindra Tailor

Shodh Shree

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Contents

Volume-38 **Issue-1** **January-March 2021**

1. **कामकाजी महिलाओं में भूमिका संघर्ष एवं समायोजन की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन** 1-8
प्रो. आनन्द प्रकाश सिंह एवं चन्द्रा गोस्वामी, अल्मोड़ा (उत्तराखंड)

2. **शाहपुरा रियासत में खारी-मानसी बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्यो का ऐतिहासिक अध्ययन (जुलाई, 1943 से दिसम्बर, 1944)** 9-15
डॉ. रश्मि मीना, जोधपुर

3. **जनतंत्र में स्त्री पीड़ा की कविताएँ** 16-19
मिथिलेश कुमार यादव, कोलकात्ता (पश्चिम बंगाल)

4. **द्रव्यवती नदी अपवाह प्रणाली- एक भौगोलिक अध्ययन** 20-24
उदय सिंह भादा, जयपुर एवं डॉ. जैनेन्द्र कुमार गुप्ता, भरतपुर

5. **हिन्दी सिनेमा में नारी का योगदान (नायिकाओं और महिला निर्देशिकाओं के विशेष संदर्भ में)** 25-28
डॉ. वरिन्दरजीत कौर, फिरोजपुर (पंजाब)

6. **महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज्य विषयक विचारों की प्रासंगिकता** 29-34
चन्द्रभान सिंह, जालौन (उत्तर प्रदेश)

7. **मेवाड़-होल्कर-टोंक रियासतकालीन निम्बाहेडा परगने का ऐतिहासिक परिचय** 35-38
डॉ. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत, भीलवाड़ा

8. **ज्ञान चतुर्वेदी का साहित्य और व्यंग्य (दंगे में मुर्गा का विशेष सन्दर्भ)** 39-41
डॉ. जयलक्ष्मी एफ. पाटील, धारवाड (कर्नाटक)

9. **भीकमकोर ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था** 42-46
भवानी सिंह राजपुरोहित, जोधपुर

10. **प्रकाश मनु के प्रमुख बाल कथा साहित्य का विवेचन** 47-49
डॉ. प्रणव श्रोत्रिय एवं नमिता शुक्ला, इन्दौर (मध्यप्रदेश)

11. **महात्मा गांधी के विचारों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण** 50-53
रूपा शेखावत, चूरू

12. **भारत में बाल श्रम उन्नमूलन में विद्यमान चुनौतियां : एक अध्ययन** 54-58
सारिका वर्मा, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

13. **नागरीदास कृत इश्कचमन : प्रेरणा और प्रभाव** 59-64
डॉ. प्रतिभा शुक्ला, किशनगढ़

14. **आदिवासी समाज का यथार्थ 'बिरुवार गमछा तथा अन्य कहानियाँ'** 65-70
डॉ. मनोहर भंडारे, लातूर (महाराष्ट्र)

महात्मा गांधी के विचारों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

रूपा शेखावत
सह आचार्य, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू

shodhshree@gmail.com

शोध सारांश

मोहनदास करमचन्द गांधी भारत एवं भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के एक प्रमुख राजनैतिक व आध्यात्मिक नेता थे, जिनके कारण भारत को आजादी प्राप्त हुई एवं नागरिक अधिकारों पर आधारित शुद्ध लोकतान्त्रिक भारत का सपना साकार भी हुआ। यद्यपि इसमें कोई दोराय नहीं कि गांधी जी ने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को भी उतना ही महत्व दिया। लोकतन्त्र पर विचार व्यक्त करते हुए गांधी ने अपनी भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और कहा कि केन्द्रीयकृत प्रतिनिधित्व की अवधारणा पर आधारित लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र नहीं होता। लोकतन्त्र की कमियों में सबसे बड़ी कमी धन की ताकत के घातक दुष्प्रभाव को माना। उनका यह मानना था कि तत्कालीन भारत में चुनावों की व्यवस्था भी बेहद अनुपयुक्त एवं दोषपूर्ण रही है। व्यापक निर्वाचन क्षेत्र के कारण मतदाता एवं उम्मीदवारों के आपसी सम्बन्ध व पहचान नहीं होती और मतदाता योग्य उम्मीदवारों को नहीं चुन पाते। वहीं षड़्यन्त्रों के माध्यम से भोली-भाली जनता को प्रभावित कर मत प्राप्त कर लेते हैं।

गांधी के शब्दों में- ''हम लोकतन्त्र की नहीं भीड़तन्त्र की स्थापना करते हैं। सुसभ्य, सक्षम और शालीन व्यक्ति चुनाव हार जाता है और बेईमान, मोटी चमड़ी वाले लोग हथियारों और भ्रष्टाचार के बल पर जीत जाते हैं।'' ऐसे चुनावों में समाजहित को अनदेखा कर दिया जाता है। व्यक्ति उन उम्मीदवारों को चुनता है जिन्हें वह जानता भी नहीं है और यह व्यवस्था एक तरह से केन्द्रीयकृत हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि जनता की उदासीनता लोकतन्त्र के आधार को ही समाप्त कर देती है।

संकेताक्षर : *लोकतांत्रिक, विकेन्द्रीकरण, भीड़तंत्र, स्वराज्य, अस्पृश्यता, केन्द्रीयकृत, अराजकता, प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्भरता।*

जीवन में उतार लेने वाले गुण के धनी मोहन दास करम चन्द गांधी का जन्म 02 अक्टूबर, 1869 ई. को काठियावाड़ में पोरबन्दर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचन्द पोरबन्दर राज्य के दीवान थे एवं उनकी माता एक साधु प्रकृति की और अत्यन्त धार्मिक महिला थी। 1888 ई. में कानून की पढ़ाई करने गांधी इंग्लैण्ड चले गए। सन् 1891 ई. में लन्दन से लौटे और वकालत करनी प्रारम्भ कर दी। थोड़े दिनों बाद गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए जहां काले-गोरे के भेद व देशवासियों की दयनीय दशा देखकर वे बहुत परेशान हुए और दक्षिण अफ्रीका सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया।

गांधी जी के लोकतन्त्र पर विचार जानने से पूर्व यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले व्यक्ति कौन थे। सबसे पहले हम दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि उनकी माता के व्यक्तिगत जीवन व पवित्रता एवं पिता की सादगी एवं सदाचार ने उन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। गांधी ने अपनी विचारधारा का मूल आधार सत्य और अहिंसा को जैन और बौद्ध धर्म से ग्रहण किया। उनके विचारों पर धर्म ग्रन्थों में श्रीमद्‌भावगत् गीता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जॉन रस्किन की पुस्तक 'अन टू दिस लास्ट' से इन्होंने तीन बातें सीखी, जो लोकतन्त्र पर गहरा प्रभाव डालती हैं-

ISSN 2277-5587

1. एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है।

2. सभी व्यक्तियों को अपने कार्य से आजीविका प्राप्त करने का समान अधिकार है।

3. शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है।

इसी प्रकार गांधी जी पर अमरीकन अराजकतावादी लेखक हेनरी डेविड थोरो का भी प्रभाव पड़ा। थोरो के अनुसार भलाई करने वाले सभी लोगों व संस्थाओं का सहयोग एवं बुराई को प्रोत्साहित करने वाले लोगों के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। थोरो मनुष्य की स्वाभाविक भलाई के समर्थक थे और दास प्रथा के प्रश्न पर उसने अमरीकन सरकार के साथ निष्क्रिय प्रतिकार के मत का समर्थन किया था।

गांधी जी पर रूसी लेखक टॉलस्टॉय की रचनाओं 'संक्षिप्त सुसमाचार', 'क्या करें' तथा 'स्वर्ग तुम्हारे भीतर है' का भी अत्यन्त प्रभाव पड़ा और अहिंसा के सम्बन्ध में सारे सन्देह दूर हो गए। गांधी जी की पुस्तकें- सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिन्द स्वराज्य, शान्ति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, साम्प्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनमें लोकतन्त्र की परछाई देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बन्धु आदि पत्रों का सम्पादन करते हुए गांधी जी ने अपने विचारों को प्रतिपादित किया।

''विज्ञान का युद्ध किसी व्यक्ति को तानाशाही शुद्ध, सरलता की ओर ले जाता है। अहिंसा का विज्ञान अकेले ही किसी व्यक्ति को शुद्ध लोकतन्त्र के मार्ग की ओर ले जा सकता है।''

सरकार, पुलिस एवं सेनाओं के अहिंसात्मक होने का समर्थन भी गांधी ने किया जो सच्चे लोकतन्त्र की पहचान कही जा सकती है। भारत में अहिंसा पर आधारित लोकतन्त्र होगा।

गांधी जी का लोकतन्त्र सत्य, अहिंसा पर आधारित ऐसा समाज था, जिसमें अस्पृश्यता, छूआ-छूत, जाति भेद के लिए कोई स्थान नहीं। गांधी का सपना था कि भारत में जो लोकतन्त्र होगा वह केन्द्रीयकृत न होकर प्रत्येक गांव का लोकतन्त्र होगा। पूरे भारत में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा और उनकी सहभागिता से ही समाज प्रगति कर सकेगा। ऐसे महान विचारों के गांधी भारत को विश्व में सबसे मजबूत लोकतन्त्र के रूप में देखते थे।

गांधी जी का लोकतन्त्र गांव से प्रारम्भ होकर केन्द्र की तरफ जाता है वे कभी भी इस बात के समर्थक नहीं रहे कि लोकतन्त्र केन्द्र से शुरू होकर गांव की तरफ जाए। उनका विश्वास था कि केन्द्रीयकृत लोकतन्त्र से व्यक्तियों का समूह ताकतवर बनके पथभ्रष्ट हो जाता है।

गांधी जी के अनुसार 'अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो अधिकारों को ज्यादा ढूंढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जीवन की आवश्यकताओं को पाने का हर एक आदमी को समान अधिकार है। यह अधिकार पशुओं और पक्षियों के भी हैं और चूंकि प्रत्येक अधिकार के साथ एक सम्बन्धित कर्तव्य जुड़ा हुआ है और उस अधिकार पर कहीं से कोई आक्रमण हुआ हो तो उसका वैसा इलाज भी है।''

राजनीति और आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी गांवों का चित्र उपस्थित करते हुए उन्होंने लिखा- 'मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए यह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रूई की फसल उत्पन्न करना। गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन और पाठशाला भी होनी चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षा अन्तिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। यथासम्भव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। गांव का शासन पांच व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी व न्यायपालिका सभी कुछ होगी।''

गांधी जी ने यह भी कहा कि मेरा स्वराज फिलहाल संसदीय प्रणाली पर आधारित होगा। वहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति के पास भी वही अवसर होगा जो कि ताकतवर व्यक्ति के पास होगा और यह लोकतन्त्र अहिंसा से ही हासिल किया जा सकता है। रामराज्य के अर्थ या ऐसा मुकम्मल लोकतन्त्र जहां अमीरी-गरीबी के बीच खाई नहीं रहेगी, रंग, नस्ल, पंथ व लिंग पर आधारित असमानताओं का अन्त हो जाएगा।

लोकतन्त्र के बारे में अब्राहम लिंकन ने जो कहा कि

'यह जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है।' संक्षिप्त अर्थ में लिया जाता है। गांधी जी ने जो लोकतन्त्र के बारे में अपने महत्वपूर्ण व सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए वास्तव में व्यापक अर्थ में लिए जाते हैं जो भारत में आज भी उतने ही प्रासंगिक है। उनके विचारों का सार मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूं-

1. लोकतन्त्र की आत्मा कोई यान्त्रिक यन्त्र नहीं है जिसे उन्मूलन के द्वारा समायोजित किया जा सके। इसके लिए हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। भाईचारे की भावना को बढ़ाने की आवश्यकता है।
2. लोकतन्त्र विभिन्न वर्गों की भलाई और उनके लिए सभी भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधन प्रदान करने की कला और विज्ञान होना चाहिए।
3. स्वतंत्रता की उच्च स्थिति, उच्च अनुशासन और विनम्रता संग्रहित करती है।
4. जो लोकतन्त्र पक्षपातपूर्ण, अंधविश्वास और अराजकता में रहेगा एक दिन स्वयं ही नष्ट हो जाएगा।
5. सच्चे लोकतन्त्र में हर आदमी और औरत को सर्वप्रथम खुद के लिए सोचना चाहिए। हर सुधार अपने घर से ही शुरू होना चाहिए।
6. लोकतन्त्र में व्यक्ति की इच्छा ही सरकार है जो कि सामाजिक इच्छा द्वारा सीमित होगी। अगर हर व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा तो अराजकता फैल जाएगी तथा राज्य का कुछ मतलब नहीं रहेगा।
7. लोकतन्त्र वो नहीं है जहां जनता भेड़ की तरह व्यवहार करे, लोकतन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति के विचारों और कार्यों का सम्मान होना चाहिए।
8. मैंने (गांधी जी ने) कई बार कहा है कि किसी भी राष्ट्रीय कार्य के लिए राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी नहीं कि उनके पास राजनैतिक शक्ति हो लेकिन यह लोगों के लिए अति आवश्यक है कि जिनको वो सत्ता में बैठा रहे हैं उनसे लगातार सम्पर्क में रहे। अगर जनता अपनी सही शक्ति पहचानती है तो वस्तुस्थिति उनके अनुसार ही रहेगी।
9. लोकतन्त्र में जनता को सरकार की गलतियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए।
10. लोकतन्त्र में केवल और केवल जनता का राज होना चाहिए। अकेले जनता की राय ही एक शुद्ध और स्वस्थ समाज बना सकती है।
11. लोकतन्त्र में आम आदमी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए एक स्वस्थ लोकतन्त्र वहीं है जिसमें हर लिंग, जाति और सम्प्रदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व हो।
12. राजनीति को सामाजिक और नैतिक कार्यों की प्रगति के सन्दर्भ में देखना चाहिए।

मनुष्य ने अपने अस्तित्व के लिए शक्ति को केन्द्रित कर दिया और निःसन्देह वह इस प्रकार जीवित रहा किन्तु उसके लिए यह जीवन मृत्यु से श्रेष्ठ न था। कालक्रम से यह केन्द्रवर्ती अधिकारी इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे झुकाना आसान न रहा। किन्तु जनता भी दासता का भार और अधिक काल तक नहीं सह सकती थी, उसने विद्रोह किया और केन्द्रीय व्यक्ति शासक या राजा के साथ प्रजा का संघर्ष प्रारम्भ हुआ।

महात्मा गांधी की सामाजिक अवधारणा

जब मार्क्सवादी और फासिस्ट विचारधाराएं प्रचलित थी तभी महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ, जिसने पुराने विदेशी शासन के जुर्म के नीचे कराहते हुए अपने देश को मुक्त किया बल्कि पीड़ित मानवता को एक नया सन्देश भी दिया और मानव इतिहास के आदिकाल से मनुष्य को पीड़ित करते रहने वाली युगों पुरानी समस्या के समाधान का अनुपम मार्ग भी दिखाया जो अहिंसा, असहयोग एवं स्वदेशी पर आधारित है। ये सिद्धान्त गांधी जी के समाज दर्शन की आधारशिला है और इन्हीं पर उनकी समाज व्यवस्था का सारा ऊपरी ढांचा आधारित है। इस अनुपम समाज चिन्तक की कल्पना परम असाधारण एवं पद्धति नवीन है। उनके अनुसार समस्त कष्टों का मूल कारण यही है कि मनुष्यों ने अपनी मनुष्यता खो दी है। गांधी जी इसे समग्र रूप से विचारणीय मानते हैं और इस पर विश्वास करते हैं कि जब तक हम व्यक्ति के पुनर्निर्माण की भी चेष्टा नहीं करते तब तक सामाजिक पुनर्निर्माण असम्भव है।

ISSN 2277-5587

गांधी जी ने आर्थिक शक्तियों के अर्थ को समझा था और उसे आवश्यक रूप से प्रमुखता देते हुए उनका यह भी विश्वास था कि भौतिक पदार्थों के उत्पादन एवं वितरण की पद्धतियों का नैतिक, राजनीति एवं सामाजिक संस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतएव उन्होंने चरखे पर आधारित समाज व्यवस्था की अवधारणा रखी जो विकेन्द्रीकृत आर्थिक संगठन का प्रतीक है और पूंजीवादी शोषण की समाप्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की संरक्षा एंव बेकारी का उन्मूलन करने में समर्थ है। 1940 में उन्होंने घोषणा की, 'यदि मैं अपने दृष्टिकोण से देश को सहमत कर सका तो भावी समाज व्यवस्था मुख्यतः चरखे और उसके आनुषंगिक तत्वों पर आधारित होगी। भावी राज्य में ग्रामों एवं उनके शिल्पों के उपकारक होंगे। वह समाजवादियों के इस मत से सहमत नहीं थे कि राज्य द्वारा केन्द्रीकृत उद्योगों को आयोजित एवं स्वाधिकृत करने पर जीवनोपयोगी वस्तुओं का केन्द्रीकरण सामान्यजन के कल्याण पर होगा।

विकेन्द्रीकरण में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्निहित है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र और निवासगृह। गांधी जी की इच्छा थी कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनता अधिकतम मात्रा में आत्मनिर्भर हो।

निष्कर्ष

अतः कहा जा सकता है कि यदि लोकतान्त्रिक समाजवादी समाज व्यवस्था को पक्की नींव पर प्रतिष्ठित करना है तो अर्थ नीति में विकेन्द्रीकरण के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। केवल दोषपूर्ण आर्थिक संगठन द्वारा ही मनुष्यों का शोषण नहीं होता, दोषपूर्ण राजनीतिक संगठन द्वारा भी होता है। गांधी जी ऐसे उपयुक्त क्षेत्रों के पक्ष में थे जो न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक जीवन की भी व्यवस्था स्वयं कर ले।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ. शिखा गढ़वाल – वैश्वीकरण, मानवाधिकार और गांधी*
2. *डॉ. एम. के. मिश्रा, डॉ. कमल दाधीच – गांधी और सर्वोदय*
3. *आशुतोष कुमार सिंह – गांधी, आदर्श लोकतंत्र एवं व्यक्तिगत आजादी*
4. *चन्दन कुमार – लोकतंत्र, सत्याग्रह और गांधी*
5. *डॉ. इकबाल नारायण – भारतीय राजनीतिक विचारक*
6. *डॉ. अल्पना शर्मा – विश्व शान्ति का गांधीय प्रतिमान*